(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 182/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/136

बउनवान

1. लटूरलाल पुत्र चतुर्भुज मीणा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारां
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र रामदयाल मीणा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

छीतरलाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के प्रकरण सं0 :– 05/2020 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11.04.2022 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री ओमप्रकाश मेहता अभिभाषक अपीलांटगण)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.07.2022

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं0 :– 05/2020 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11.04.2022 से अप्रसन्न होकर विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 06.05.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के पत्रांक 1444 दिनांक 14.06.2022 से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम चरडाना की आराजी खसरा नं0 593 रकबा 0.81 हैक्टे0 खसरा नं0 638 रकबा 0.59 हेक्टे0 मे से खसरा नं0 638 रकबा 0.59 हेक्टे0 पर रेस्पो0 द्वारा बेदखल करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे कार्यवाही पेश की गई है जिसमे अपीलांटगण की ओर से जवाबदेही करते हुये हाल खसरा नम्बर 638 रकबा 0.59 हेक्टे0 के भू–प्रबन्ध विभाग के सेटलमेन्ट के दौरान पूर्व साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा से कायम किये गये है खसरा नं0 495 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा शुरू से ही अपीलांटगण के पिता व दादाजी चतुर्भुज पुत्र गणेशराम के कब्जे काश्त [illegible] असा 80–90 सालो से चला आ रहा है तथा वक्त काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने दिनांक 15.10.1955 को अपीलांटगण के पिता व दादाजी का कब्जा काश्त था। इसी आधार पर रेस्पो0 के पिता नाथूलाल, पांथूलाल पुत्रगण अमरलाल जाति बैरवा निवासी अरडाना द्वारा दिनांक 26.07.1971 को साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के एवज मे 1000/– रूपये प्राप्त कर विक्रय पत्र का पंजीयन सबरजिस्ट्रार, अटरू के यहां कराया गया जिसमें गवाह गवाहान के रूप में अमरसिंह, मदनलाल के अंगूठा निशानी व चंदनलाल के दस्तखत हुये है। इस तथ्य को छिपाकर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नही किया गया। न हीं अपीलांटगण के कोई बयान लिये गये और न हीं आस–पास के खेत वालो से कोई पूछताछ की गई। अपीलांटगण को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर निर्णय दिनांक 11.04.2022 पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्वांन्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि अगर किसी के द्वारा जमीन का बेचान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति मे धारा 183 (बी) की कार्यवाही नही की जा सकती धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ही की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा न्याय की मंशा को समझने मे भारी भूल की है तथा विधि विरूद्व मनमाना निर्णय दिनांक 11.04.2022 को पारित किया गया है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलांटगण के पिता व दादाजी चतुर्भुज पुत्र गणेशराम के द्वारा उक्त आराजियात को तोड कर काबिल काश्त बनाया है तथा काफी धन व श्रम खर्च किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.101956 के पूर्व ही मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम का अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा। उनका देहान्त 30–32 वर्ष पूर्व हो चुका है उसके बाद उसके दोनो पुत्रो अपीलांट क्रम 1 व रेस्पो. क्रम 2 के पिता रामदयाल का कब्जा काश्त रहा है। रामदयाल का देहान्त हो चुका है। उसके हिस्से पर रामदयाल का पुत्र अपीलांट क्रम 2 गिर्राजप्रसाद काबिज काश्त है। वर्तमान मे अपीलांटगण काबिज–काश्त चले आ रहे है जिसे बेदखल करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है जबकि रेस्पो0 के पिता नाथूलाल पुत्र अमरलाल के द्वारा व उसके भाई पांथूलाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 26.07.1971 को यह जानते हुये कि मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम का दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है इस कारण दोनो भाईयो द्वारा संयुक्त रूप से मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम को कब्जे के आधार पर बेचान कर 1000/– रूपये की राशि प्राप्त कर दिनांक 26.07.1971 को सब रजिस्ट्रार, अटरू के समक्ष प्रस्तुत कर गवाहान की उपस्थिति मे पंजीयन करवाया गया। इस कारण पांथूलाल या नाथूलाल द्वारा अपने जीवनकाल मे कोई कार्यवाही नही की गई। नाथूलाल का देहान्त जायज अर्सा 30 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके बाद सन् 2020 में उक्त कार्यवाही रेस्पो0 छीतरलाल पुत्र नाथूलाल द्वारा पेश की गई है जबकि छीतरलाल पुत्र नाथूलाल 1/2 हिस्से व सीताबाई पुत्री नाथूलाल 1/2 हिस्से की खातेदारान है। इस कारण सीताबाई पुत्री नाथूलाल को पक्षकार नही बनाकर तथ्यों को छिपाकर अपीलांटगण को परेशान करने के उद्वेश्य से रेस्पो0 द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा विधि की मंशा को समझने मे भूल की है तथा दिनांक 11.04.2022 को गलत तथ्यों पर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का उल्लेख नही किया गया है। अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्षसमर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.सी. 1994 पेज नं0 231 कल्याणमल बनाम सुरेन्द्र कुमार जैन प्रस्तुत किए गए। यदि उक्त [illegible] पत्र गलत है तो ऐसी स्थिति मे धारा 183 (बी) की कार्यवाही नही की जा सकती धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ही की जा सकती है, खातेदार द्वारा उक्त आराजी का विक्रय [illegible] के बाद भी उक्त आराजी विक्रेता के खाते मे क्यों रही ? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे एक भी गवाह/साक्ष्य के बयान आदि नही लिये गये है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रूलिंग रेफरेंस से सम्बन्धित है न कि 183(बी) के प्रकरण से सम्बन्धित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 5/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 11.4.2022 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के विधिक प्रावधानों के अनुसार हीं निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट वर्तमान में उक्त आराजी का खातेदार है। सीताबाई पुत्री नाथूलाल बैरवा को रिलीज हुई डीड की कॉपी लगी हुई है जिससे वो इसकी एनटाईटल नहीं है। प्रकरण में धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि उक्त विक्रय पत्र को 51वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 2003 पेज नं. 389—394 पेश किए जिसके अनुसार लिमिटेशन 1971 में 03 से 12 वर्ष एवं 1971—1981 में 30 वर्ष है। आर. आर. डी. 1988 पेज नं. 577 के अनुसार 1971 की डीड लिमिटेशन 12वर्ष थी। उक्त विक्रय पत्र को 51वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। वर्तमान में हम खातेदार है। यदि कोई दस्तावेज शुरू से हीं प्रभावशून्य है तो उस पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं0 :— 05/2020 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11.04.2022 का गहनता से अध्ययन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में किसी भी व्यक्ति की साक्ष्य, बयान आदि नहीं लिये गये है। प्रकरण में रेस्पो0 के पिता नाथूलाल पुत्र अमरलाल व उसके भाई पांथूलाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 26.07.1971 को यह जानते हुये कि मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम का दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है इस कारण दोनो भाईयो द्वारा संयुक्त रूप से मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम को कब्जे के आधार पर बेचान कर 1000/— रूपये की राशि प्राप्त कर दिनांक 26.07.1971 को सब रजिस्ट्रार अटरू के समक्ष प्रस्तुत कर गवाहान की उपस्थिति मे पंजीयन करवाया गया जिसका कोई विस्तृत उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नहीं होते है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 05/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, अटरू को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र दिनांक 26.07.1971 की रोशनी में उभयपक्षों को पुनः सुना जाकर प्रकरण में विस्तृत एवं निष्पक्ष जाँच की जावें तदुपरान्त विधिक निर्णय पारित किया जावें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 08.07.20.. को ... द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ